सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी–रामावतार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 93/15 **निर्णय दिनांक 7.03.2018**

जिन्दुखां पुत्र खानूखां जाति मुसलमान निवासी चक 4 डीएलएम तहसील पूगल जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

1. भोजनाथ पुत्र लिखमानाथ जाति सिद्व निवासी गांव करणू तहसील नागौर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज
3. जगदीश पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी डेली तलाई तहसील पूगल

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल

दिनांक 27.6.2011

उपस्थितः

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री बहादुर राम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 3
4. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांटा ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 27.6.2011 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजीकाश्त रकबा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन किया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट गांव चकोसा हाल चक 4 डीएलएम तहसील पूगल का जन्मजात निवासी है और आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि है। अपीलांट को उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा गांव की रोही के खसरा नम्बर 458 की 50 बीधा वारानी रकबा बतौर भूमिहीन आरजीकाश्त पर सन् 1975 में आवंटित किया गया और पटवारी हल्का द्वारा कब्जा प्रदान किया गया। जिस पर अपीलांट का बदूस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को आवंटित रकबा स्कीम में आने पर चक नम्बर 4 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 132/24, 132/32, 132/39, 132/45, 132/46 व 132/47 में फिट हुआ तथा उपनिवेशन तहसीलदार ने अपीलांट को आराजीकाश्त पर आवंटित रकबे का नवीनीकरण करना बंद कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट ने अपनी आराजीकाश्त पर आंवटित भूमि पुख्ता आवंटन किये जाने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो विचाराधीन चल रही है। क्षेत्र उपनिवेशन से राजस्व में आ गया है। अपीलांट का रकबा वाके चक 4 डीएलएम ए का मुरब्बा नम्बर 132/39 किला नम्बर 3 ता 6 की 4 बीधा व मुरब्बा नम्बर 132/46 किला नम्बर 1, 2, 6, 7, 9 ता 25 की 17 बीधा कुल 21 बीधा कमाण्ड रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन नियमों के विरुद्व आवंटन की है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 पेशा कृषि नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटित रकबा वाके चक 13 डीकेडी मुरब्बा नम्बर 22/32 की 25 बीधा भूमि दिनांक 13.11.83 को कब्जा दिया जा चुका था। वादगत रकबा अपीलांट को 1973 से आवंटित है और

सक्षम अधिकारी ने कभी खारिज नहीं किया। अपीलांट को पुख्ता आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है। इसलिए रेस्पोडेन्ट नं.1 का भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को पुख्ता आवंटन की कार्यवाही के आदेश पारित किये जावे। अपने कथन के समर्थन में 1993 आर.आर.डी. पेज 596 (एससी),2016(2) आर. आर.टी. पेज 914–18, 2011(2) आर.आर.टी. पेज 907–912, 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1407 के दृष्टान्त पेश किये। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं.1 को आवंटन प्रक्रिया के तहत आवंटन की गई है। जबकि अपीलांट को आराजीकाश्त पर आवंटन हुआ था जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ। इसलिए रेकार्ड में भूमि आराजीराज होने से रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन की जाती है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 3 को बैय नहीं की है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम ही दर्ज है। इसलिए अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। जो मियांद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 से जरिये बैयनामा खरीद की है तथा नामान्तरण सं. 61 में रेस्पोडेन्ट नं. 3 का नाम भूमि खातेदार दर्ज हो चुकी है। अपीलांट को विवादित भूमि आराजीकाश्त पर आवंटन हुई थी किन्तु नवीनीकरण नहीं होने से रेकार्ड में आराजीराज होने से रेस्पोडेन्ट नं. 1 को भूमि विधि सम्मत आवंटन की गई। जिसे रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने राशि अदा कर खरीद की है तथा कब्जा प्राप्त किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2011 के विरुद्व अपील दिनांक 1.10.2015 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसके विरुद्व रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने काउण्टर शपथ पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसलिए अपील जानकारी से अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट नं. 1 को चक 4 डीएलएम (ए) का मुरब्बा नम्बर 132/39 किला नम्बर 3 ता 6 की 4 बीधा व मुरब्बा नम्बर 132/46 किला नम्बर 1, 2, 6, 7, 9 ता 25 की 17 बीधा कुल 21 बीधा कमाण्ड दिनांक 30.6.2011 को आवंटन हुई। जबकि अपीलांट गांव चकोसा चक 4 डीएलएम तहसील पूगल का निवासी बताता है तथा उसी गांव की रोही के खसरा नम्बर 458 की 50 बीधा बारानी बतौर भूमिही आराजीकाश्त पर 1973 में आवंटन होना बताता है। किन्तु अपीलांट ने ना तो सूची नम्बर 4 पेश की ना ही नवीनीकरण का कोई दस्तावेज पेश किया। इसलिए रेस्पोडेन्ट नं. 1 को किये गये आवंटन से अपीलांट का आराजीकाश्त आवंटन का मिलान नहीं होता। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पूगल का आदेश दिनांक 27.6.2011 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर